न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

कैम्प सागर म0प्र0

R. 324-II/13

उज्जन लोधी तनय खुमान लोधी

निवासी ग्राम दरगुंवा तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

-- आवेदक/रिवीजनकर्ता

// बनाम //

म0प्र0 शासन

-- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा निगरानी प्र0क्र0 800-अ/19 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 20/12/2012 से दुखित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है ।

// निगरानी के तथ्य //

1- यह कि निगरानीकर्ता ग्राम दरगुंवा तह0 व जिला टीकमगढ़ का स्थाई निवासी है । निगरानीकर्ता को वर्ष 1995-96 में नायब तहसीलदार महोदय बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ के द्वारा अपने राजस्व प्र0क्र0 51/अ-19(4) वर्ष 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 30/11/95 के द्वारा ग्राम दरगुंवा में स्थित शासकीय भूमि जिसका ख0नं0 1774 है तथा जिसका रकबा 0.902 हे0 है का पट्टा प्रारूप ग में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 324–दो/2013 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
4.12.15	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 800/2011–12 अ–19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार बड़ागॉव धसान जिला टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 51/1995–96 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.11.1995 से ग्राम दरगुंवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1774 रकबा 0.902है0 पर आवेदक को म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमिस्वामी घोषित किया। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1995 में अनियमिततायें करने वावत् प्रतिवेदन कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 51/03–04 स्वमेव निगरानी दर्ज कर आदेश दिनांक 31.7.11 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त	

कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 800/2011-12 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 से निगरानी समयवाहृय होना मानकर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दिये गये आधारों पर आवेदक के अभिभाषक तथा अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर मनन् करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग ने आदेश दिनांक 20.12.12 में अंकित किया है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक एंव उसके अधिवक्ता 25-3-11 को उपस्थित हुये थे तथा समय चाहने पर बहस हेतु अंतिम अवसर देकर 6-5-11 के लिये प्रकरण रखा गया, किन्तु 6-5-11 को आवेदक एंव उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण आदेश के लिये रख लिया। स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष जब आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है एंव उस पर आदेश सॅसूचित नहीं किया गया है-आदेश की जानकारी आवेदक को समय पर नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आदेश की जानकारी के दिन से म्याद की गणना न करने में अपर आयुक्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	ने भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दि. 20.12.2012 त्रृटिपूर्ण है। 5/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार बड़ागॉव धसान ने आदेश दिनांक 30.11.1995 से आवेदक को भूमि व्यवस्थापित की है जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर,टीकमगढ़ ने वर्ष 2003–04 अर्थात 08 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी दर्ज की है जबकि भूमि बंटन/व्यवस्थापन आदेश के विरूद्व स्वमेव निगरानी हेतु एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त माना गया है। अतः अपर कलेक्टर ने भूमि व्यवस्थापन के 08 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी की शक्तियों का गलत उपयोग किया है। 6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि भूमि व्यवस्थापन में मिलने के वाद आवेदक ने उस पर रहवासी मकान बनाया है एंव उबड़–खाबड़ भूमि को समतल करके भूमि चारों ओर बंधान बनाये हैं तथा सिंचाई सुविधा हेतु कुआ निर्माण करने में काफी धन व श्रम व्यय किया है जिसके कारण भूमि व्यवस्थापन रद्व होने से उसके परिवार का पालन पोषण दूभर हो गया है। यदि इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय – 1984	

रा.नि. 28 के पैरा 4 में न्यायिक दृष्टांत है कि कुआ निर्माण और सब्जी उगाने के योग्य भूमि बनाने में भूमि सुधार में हजारों रूपये खर्च कर दिये गये, अनुचित विलम्ब से स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय (डी.बी.) 1975 ज.ला.ज. 689 का न्यायिक दृष्टांत है कि पटटेदार को भूमिस्वामी अधिकार पैदा हो गये – 05 वर्ष वाद स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण उचित नहीं है। परन्तु अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 51/03–04 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 31.7.11 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 800/2011–12 अ–19 में आदेश दिनांक 20.12.2012 पारित करते समय उक्त तथ्यों को नजरन्दाज करने की भूल है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 51/03–04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.7.11 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 800/2011–12 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार बड़ागॉव धसान जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 51/1995–96 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.11.1995 व्दारा किया गया भूमि व्यवस्थापन यथावत् रखा जाता है।

सदस्य